हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

चौदहवां सत्र

बुधवार, 9 मार्च, 2022/18 फाल्गुन,1943(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सोशल लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 व 2018-19 (विलम्ब के कारणों सहित) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री सुख राम चौधरी, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** संस्था अधनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2021-22),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का 210**वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 **(राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र)** पर आधारित तथा **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 211**वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 **(राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र)** पर आधारित तथा **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 212**वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 **(राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र)** पर आधारित तथा **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2021-22),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **53वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **54वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 13वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सावड़ा कुडडु हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट** से सम्बन्धित है ।

(3) **श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2021-22),** समिति का **21वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों एवं आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित तथा **महिला एवं बाल विकास विभाग** से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

4. **वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमान:-**

सामान्य चर्चा एवं समापन ।

शिमला-171004
दिनांक: 8 मार्च, 2022

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)